

## विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2025

**सा.का.नि. 36.**—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें तथा निबंधन) नियम, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति और सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

**3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वे होंगे जो अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**5. भारत के किसी भाग में सेवा दायित्व-** सभी कार्मिकों को अखिल भारतीय सेवा दायित्व के साथ भारत के किसी भाग में सेवा करने का दायित्व होगा।

**6. निर्हरता-** वह व्यक्ति,-

क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**7. शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा ब्यूरो से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**8. व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. निदेशक	10 (2025)*	केंद्रीय सरकार	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(तकनीकी)।	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	में समूह 'क' पदों के समतुल्य, अननुसन्धिवीय और अराजपत्रित।	13 (123100-215900 रु.)			
-----------	---	---	---------------------------	--	--	--

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रु.) में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऐसे संयुक्त निदेशक (तकनीकी) की श्रेणी के अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय परीक्षा के आधार पर ऊर्जा लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं।)</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन</p>

		<p>स्तर-12 (78800 - 209200 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 (67700 - 208700 रु.) में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखते हों:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र या रसायन विज्ञान या अर्थशास्त्र या गणित में स्नातकोत्तर डिग्री; या</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में स्नातक डिग्री;</p> <p>और</p> <p>(iii) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय परीक्षा के आधार पर ऊर्जा लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।</p> <p>और</p> <p>(ग) उद्योग, परिवहन या भवन में ऊर्जा दक्षता मामलों के ब्यौहार में अर्हता-उपरांत दस वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय:</b> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या व्यवसाय प्रबंधन/प्रशासन या ऊर्जा अध्ययन या औद्योगिक या प्रणाली प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री;</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	---

			<b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय चयन समिति (प्रोन्नति या नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: (1) अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय -अध्यक्ष; (2) उप महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो -सदस्य; (3) संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी, विद्युत मंत्रालय – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. संयुक्त निदेशक (तकनीकी)।	11 (2025)*  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पदों के समतुल्य, अननुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-12 (78800-209200रु.)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति:</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 (67700-208700रु.) में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऐसे उप निदेशक (तकनीकी) श्रेणी के अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित सेवा पर पांच वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय परीक्षा के आधार पर ऊर्जा लेखा परीक्षक के रूप में प्रमाण पत्र हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की</p>



		<p>अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी-</p> <p><b>(क)</b> (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर -11 (67700 - 208700 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p><b>और</b></p> <p><b>(ख)</b> जो निम्नलिखित आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं रखते हों:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र या रसायन विज्ञान या अर्थशास्त्र या गणित में स्नातकोत्तर डिग्री; या</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में स्नातक डिग्री;</p> <p><b>और</b></p> <p><b>(iii)</b> ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय परीक्षा के आधार पर ऊर्जा लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो;</p> <p><b>और</b></p> <p><b>(ग)</b> उद्योग, परिवहन या भवन में ऊर्जा दक्षता मामलों के ब्यौहार में अर्हता-उपरांत दस वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की</p>
--	--	---

			अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।  <b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--	---

(12)	(13)
विभागीय चयन समिति (प्रोन्नति या नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:  (1) अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय -अध्यक्ष; (2) उप महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो -सदस्य; (3) संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी, विद्युत मंत्रालय - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. उप निदेशक (तकनीकी)।	11 (2025)*  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पदों के समतुल्य, अननुसचिवीय, अराजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-11 (67700 – 208700 रु.)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा।	<b>प्रोन्नति:</b>  वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (56100-177500 रु.) में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऐसे सहायक निदेशक (तकनीकी) श्रेणी के अधिकारी, जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय परीक्षा के आधार पर ऊर्जा प्रबंधक या ऊर्जा लेखा परीक्षक के रूप में प्रमाण पत्र हो।  <b>टिप्पण:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम

		<p>न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</b>  केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी-</p> <p><b>(क) (i)</b> जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p><b>(ii)</b> जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (56100-177500 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो;  <b>और</b></p> <p><b>(ख)</b> जो निम्नलिखित आवश्यक शैक्षिक अर्हता रखते हों:-</p> <p><b>(i)</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र या रसायन विज्ञान या अर्थशास्त्र या गणित में स्नातकोत्तर डिग्री; या</p> <p><b>(ii)</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में स्नातक डिग्री;  <b>और</b></p> <p><b>(iii)</b> ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय परीक्षा के आधार पर ऊर्जा प्रबंधक या ऊर्जा लेखा परीक्षक के रूप में प्रमाण पत्र;  <b>और</b></p> <p><b>(ग)</b> उद्योग, परिवहन या भवन में ऊर्जा दक्षता मामलों से ब्यौहार में अर्हता-उपरांत पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	---

			<b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--	--

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति (प्रोन्नति या नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:</p> <p>विभागीय चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी, विद्युत मंत्रालय -अध्यक्ष;</p> <p>(2) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में निदेशक -सदस्य।</p> <p>(3) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. सहायक निदेशक (तकनीकी)।	<p>20 (2025)*</p> <p>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p>	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पदों के समतुल्य, अननुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-10 (56100-177500 रु.)।	लागू नहीं होता।	<p>पैंतीस वर्ष तक।</p> <p>(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।</p>	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र या रसायन विज्ञान या अर्थशास्त्र या गणित में स्नातकोत्तर डिग्री; या</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में स्नातक डिग्री;</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए केंद्रीय सरकार के विवेक पर अर्हता में छूट दी जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में अनुभव से संबंधित अर्हता में छूट केंद्रीय सरकार के विवेक पर लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी चरण में केंद्रीय सरकार की राय है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	2 वर्ष।	<p>गुणागुण के क्रम में विधिमान्य गेट स्कोर के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा जहाँ भी लागू हो। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विभिन्न विषयों/विधाओं की क्रम स्थापना के लिए कट-ऑफ गेट प्राप्तांक नियत करेगा। विभागीय चयन समिति चयनित सूची में रखे गए अभ्यर्थियों के चयन को अंतिम रूप देने के लिए गेट प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगी।</p> <p><b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या अर्ध सरकारी या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों और जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथानिहित अर्हताएं और अनुभव हों।</p>	लागू नहीं होता।

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति (चयन के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी, विद्युत मंत्रालय -अध्यक्ष;</p> <p>(2) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में निदेशक -सदस्य;</p> <p>(3) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो -सदस्य।</p> <p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) विद्युत मंत्रालय में निदेशक -अध्यक्ष;</p> <p>(2) संयुक्त निदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो -सदस्य;</p> <p>(3) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय -सदस्य।</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी)।	01 (2025)*  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पदों के समतुल्य, अनुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर- 12 (78800-209200 रु.)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	संयुक्त विधि:  प्रोन्नति द्वारा, प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक	<p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी-</p>

		संविदा भी है द्वारा।	<p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 (67700-208700 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; <b>और</b></p> <p>(ख) जो निम्नलिखित आवश्यक शैक्षिक अर्हता रखते हैं:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त/मानव संसाधन में विशेषज्ञता के साथ); <b>और</b></p> <p>(ग) स्थापना या प्रशासन या लेखा या सतर्कता से संबंधित कार्यों को संभालने में अर्हता-उपरांत दस वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 (67700-208700 रु.) में ऐसे विभागीय उप निदेशक (गैर-तकनीकी) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और रोकड़ तथा लेखा प्रशिक्षण, प्रशासनिक सतर्कता और अन्य स्थापना मामलों में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले व्यक्ति पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि वह पद पर नियुक्ति के लिए चयनित हो जाता है, तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 4:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	----------------------	--

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय -अध्यक्ष;</p> <p>(2) उप महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो -सदस्य;</p> <p>(3) संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी, विद्युत मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय -सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. उप निदेशक (गैर-तकनीकी)।	01 (2025)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पदों के समतुल्य, अनुसचिवीय, अराजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-11 (67700–208700 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	संयुक्त विधि:  प्रोन्नति द्वारा, प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा।	<p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (56100-177500 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ;</p> <p>और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित आवश्यक शैक्षिक अर्हता रखते हो:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त/मानव संसाधन में विशेषज्ञता के साथ);</p> <p>और</p> <p>(ग) स्थापना या प्रशासन या लेखा या सतर्कता से संबंधित मामलों को संभालने में अर्हता-उपरांत पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (56100-177500 रु.) में ऐसे विभागीय सहायक निदेशक (वित्त) और सहायक निदेशक (मानव संसाधन) जिन्होंने उक्त श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने रोकड़ तथा लेखा प्रशिक्षण, प्रशासनिक सतर्कता और अन्य स्थापना मामलों में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, उन पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए चयनित होता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

			<b>टिप्पण 4:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--	--

(12)	(13)
विभागीय चयन समिति (प्रोन्नति या नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:  (1) संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी, विद्युत मंत्रालय (2) विद्युत मंत्रालय में निदेशक (3) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।  -अध्यक्ष; -सदस्य; -सदस्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. सहायक निदेशक (वित्त)।	01 (2025)*  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पदों के समतुल्य अनुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-10 (56100-177500 रु.)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	संयुक्त पद्धति:  प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है/ प्रोन्नति,	<b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</b>  केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी-  (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-8 (47600-151100 रु.) में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 (44900-142400 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हो:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त में विशेषज्ञता के साथ)। और (ग) वित्त, लेखा और बजट संबंधी कार्यों का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव।



			<p><b>टिप्पण 1:</b> वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 (44900-142400 रु.) में ऐसे विभागीय वित्त और लेखा अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसने रोकड़ और लेखा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो, पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए चयनित होता है, तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 4:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--	--

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी, विद्युत मंत्रालय -अध्यक्ष;</p> <p>(2) विद्युत मंत्रालय में निदेशक -सदस्य;</p> <p>(3) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो -सदस्य।</p> <p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो -अध्यक्ष;</p> <p>(2) संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो -सदस्य;</p> <p>(3) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय -सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. सहायक निदेशक (मानव संसाधन)।	01 (2025)*  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पदों के समतुल्य अनुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-10 (56100-177500 रु.)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति:</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 (44900-142400 रु.) में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी के अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो तथा जिन्होंने प्रशासनिक सतर्कता और अन्य स्थापना मामलों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-8 (47600-151100 रु.) में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 (44900-142400 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित आवश्यक शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; या</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मानव संसाधन में विशेषज्ञता के साथ); और</p> <p>(ग) सामान्य प्रशासन और स्थापना संबंधी कार्यों को संभालने में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के</p>

			<p>पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--	---

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी, विद्युत मंत्रालय -अध्यक्ष;  (2) विद्युत मंत्रालय में निदेशक -सदस्य;  (3) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो -सदस्य।</p> <p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो -अध्यक्ष;  (2) संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो -सदस्य;  (3) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय -सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. प्रशासनिक अधिकारी।	2 (2025)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'ख' पदों के समतुल्य, अनुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-7 (44900 – 142400 रु.)।	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष तक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/ आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; या</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री (मानव संसाधन में विशेषज्ञता सहित)।</p> <p><b>वांछनीय :</b> केन्द्रीय या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या कानूनी या स्वशासी निकायों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों आदि में स्थापना या प्रशासन या सतर्कता संबंधी कार्य संभालने का एक वर्ष का</p>

					है)।	<p>अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अहर्ताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, "सक्षम प्राधिकारी" के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं, ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, "सक्षम प्राधिकारी" के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर "सक्षम प्राधिकारी" की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	------	--

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	<p>कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के, समय-समय पर संशोधित, तारीख 21/12/2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39020/01/2016-स्था.(ख) के अनुसार गैर-अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची में से जिन्होंने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के भर्ती के सभी चरणों को सीधी भर्ती द्वारा उत्तीर्ण कर लिया हो, ।</p> <p>इस प्रयोजन के लिए, गैर-अनुशंसित अभ्यर्थियों, जिन्होंने भर्ती के सभी चरणों को पास कर लिया है, को 1:3 (रिक्तियों का तीन गुना) के अनुपात में बुलाया जाएगा, और आयु, शैक्षिक अर्हता, आरक्षण के लिए दावे और चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट से संबंधित प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के पश्चात, चयनित सूची में रखे गए अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित गुणागुण के क्रम में नियुक्ति की प्रस्थापना की जाएगी।</p> <p><b>टिप्पण :</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या अर्ध सरकारी या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है, जो वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो या पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों और जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथाविहित अर्हताएं और अनुभव हों।</p>	लागू नहीं होता।

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) विद्युत मंत्रालय में निदेशक - अध्यक्ष;</p> <p>(2) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - सदस्य;</p> <p>(3) संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - सदस्य।</p> <p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित हैं:</p> <p>(1) संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - अध्यक्ष;</p> <p>(2) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>(3) उप निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. वित्त और लेखा अधिकारी।	01 (2025)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'ख' पदों के समतुल्य, अनुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-7 (44900 – 142400 रु)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 (35400-112400 रु.) में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लेखाकार श्रेणी के अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो तथा जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित रोकड़ और लेखा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर -6 (35400 - 112400 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:-</p>

			<p><b>आवश्यक</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक डिग्री; और</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठन में रोकड़ और लेखा या बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री (वित्त में विशेषज्ञता सहित);</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार की लेखा प्रक्रिया, जैसे बजट, आहरण और संवितरण, प्राप्तियां और संदाय, कानूनी वसूलियां, निधियां, उनका लेखा और वित्तीय नियंत्रण, वार्षिक लेखा की तैयारी और अंतिम रूप देने के लिए प्रक्रियात्मक ब्यौरे का ज्ञान होना चाहिए; और</p> <p>(iii) वाणिज्यिक लेखाओं का अच्छा ज्ञान होना।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--	---

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) विद्युत मंत्रालय में निदेशक - अध्यक्ष;</p> <p>(2) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - सदस्य;</p> <p>(3) संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. लेखाकार।	03 (2025)*  *कार्यभार के आधार	केन्द्रीय सरकार में समूह 'ख' पदों के समतुल्य, अनुसचिवीय,	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-6 (35400-112400रु.)।	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष तक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी	<p><b>आवश्यक</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक डिग्री;</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त</p>

	पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अराजपत्रित।			<p>किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p>विश्वविद्यालय/संस्थान से व्यापार प्रबंध में स्नातकोत्तर डिग्री (वित्त में विशेषज्ञता सहित)।</p> <p>(ii) नियम 2(iii) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों में रोकड़ और लेखा या बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव होना।</p> <p>(iii) केन्द्रीय सरकार की लेखा प्रक्रिया जैसे बजट, आहरण और संवितरण, प्राप्तियां और भुगतान, कानूनी वसूलियां, निधियां, उनका लेखा और वित्तीय नियंत्रण, वार्षिक लेखाओं की तैयारी और अंतिम रूप देने के लिए प्रक्रियात्मक विवरण का ज्ञान होना चाहिए;</p> <p>और</p> <p>(iv) वाणिज्यिक लेखाओं का अच्छा ज्ञान होना।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अहर्ताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, "सक्षम प्राधिकारी" के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, "सक्षम प्राधिकारी" के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर "सक्षम प्राधिकारी" की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	------------------------------	-------------	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	<p>कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के, समय-समय पर संशोधित, तारीख 21/12/2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39020/01/2016-स्था.(ख) के अनुसार गैर-अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची में से जिन्होंने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के भर्ती के सभी चरणों को सीधी भर्ती द्वारा उत्तीर्ण कर लिया हो।</p> <p>इस प्रयोजन के लिए, गैर-अनुशंसित अभ्यर्थियों, जिन्होंने भर्ती के सभी चरणों को पास कर लिया है, को 1:3 (रिक्तियों का तीन गुना) के अनुपात में बुलाया जाएगा, और आयु, शैक्षिक अर्हता, आरक्षण के लिए दावे और चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट से संबंधित</p>	लागू नहीं होता।

	<p>प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के पश्चात्, चयनित सूची में रखे गए अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित योग्यता के क्रम में नियुक्ति की प्रस्थापना की जाएगी।</p> <p><b>टिप्पण :</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या अर्ध सरकारी या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है, जो वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों या पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों और जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथाविहित अर्हताएं और अनुभव रखता हों।</p>	
--	---	--

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) विद्युत मंत्रालय में निदेशक - अध्यक्ष;  (2) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - सदस्य;  (3) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय - सदस्य।</p> <p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित हैं:</p> <p>(1) संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - अध्यक्ष;  (2) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय - सदस्य;  (3) उप निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. उप निदेशक (मीडिया)।	1* (2025)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पदों के समतुल्य, अननुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-11 (67700-208700 रु.)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	<p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</b></p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (56100 - 177500 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-9</p>



		<p>(53100 - 167800 रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो;  <b>और</b>  <b>(ख)</b> मास कम्युनिकेशन में स्नातक या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य;  <b>और</b>  <b>(ग)</b> किसी ख्यातिप्राप्त संगठन में जनसंपर्क या मीडिया को संभालने का पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:-</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	---

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी, विद्युत मंत्रालय  -अध्यक्ष;</p> <p>(2) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो  -सदस्य;</p> <p>(3) निदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो  -सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. सहायक निदेशक (मीडिया)।	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पदों के समतुल्य, अननुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-10 (56100 - 177500 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा।	<p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</b>  केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी-</p> <p><b>(क)</b> (i) जो मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या  (ii) जिन्होंने मूल काडर में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-9 (53100-167800 रु.) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या  (iii) जिन्होंने मूल काडर में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-8</p>

			<p>(47600-151100 रु.) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p><b>और</b></p> <p><b>(ख)</b> मास कम्युनिकेशन में स्नातक या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य;</p> <p><b>और</b></p> <p><b>(ग)</b> किसी ख्यातिप्राप्त संगठन में जनसंपर्क या मीडिया को संभालने का पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2.-</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--	--

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी, विद्युत मंत्रालय-अध्यक्ष;</p> <p>(2) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो-सदस्य;</p> <p>(3) निदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो-सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. वरिष्ठ निजी सचिव।	01 (2025)* *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पदों के समतुल्य, अनुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन स्तर – 8 (47600 – 151100 रु.) तथा चार वर्ष की नियमित सेवा के पश्चात वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर – 9 (53100 – 167800 रु.) में उन्नत पद किया गया।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 (44900-142400 रु.) में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के निजी सचिव श्रेणी के अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की सेवा दी हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ</p>

		<p>व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले गी पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर -7 (44900-142400 रु.) में दो वर्ष की नियमित सेवा; <b>और</b> (ख) जो निम्नलिखित आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:-</p> <p><b>आवश्यक</b> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; <b>और</b> (ii) निम्नलिखित अनुभव रखने वाले:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अंग्रेजी या हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति होना;</li> <li>2. अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति;</li> <li>3. अधिकारियों के निजी कार्यालय के प्रबंधन में अनुभव;</li> <li>4. कार्यालय प्रक्रियाओं, फ़ाइल रखने, रिकॉर्ड प्रबंधन और गोपनीय कागजात के रखरखाव का ज्ञान;</li> <li>5. अपॉइन्टमेन्ट का अनुसूचन और यात्रा अनुसूचन से परिचित होना;</li> <li>6. अच्छी पारस्परिक कौशल, आगंतुकों की आवभगत क्षमता;</li> </ol> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	---

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) विद्युत मंत्रालय में निदेशक - अध्यक्ष;</p> <p>(2) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - सदस्य;</p> <p>(3) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय - सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. निजी सचिव।	1* (2025)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पदों के समतुल्य, अननुसन्धिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर - 7. (44900 – 142400 रु.)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 (35400-112400 रु.) में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के स्टेनोग्राफर श्रेणी के अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले भी पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी-</p> <p><b>(क)</b> (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर -6 (35400-112400 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p><b>और</b> <b>(ख)</b> जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; <b>और</b> (ii) निम्नलिखित अनुभव रखने वाले: 1. अंग्रेजी या हिंदी में आशुलिपि लिखने की गति 80 शब्द प्रति मिनट; 2. अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति; 3. अधिकारियों के निजी कार्यालय के प्रबंधन में अनुभव; 4. कार्यालय प्रक्रियाओं, फाइल रखने, रिकॉर्ड प्रबंधन और गोपनीय कागजात के रखरखाव का ज्ञान; 5. अपॉइन्टमेन्ट का अनुसूचन और यात्रा अनुसूचन से परिचित होना; 6. अच्छी पारस्परिक कौशल, आगंतुकों की आवभगत क्षमता;</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि,</p>

			<p>जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--	---

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) विद्युत मंत्रालय में निदेशक (2) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (3) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p> <p>- अध्यक्ष; - सदस्य; - सदस्य</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. आशुलिपिक।	08 (2025)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पदों के समतुल्य अनुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 6 (35400- 112400/-रु.)।	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों सहित सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	<p><b>(क) आवश्यक</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; और</p> <p>(ii) अंग्रेजी या हिंदी में आशुलिपि लिखने की गति 80 शब्द प्रति मिनट;</p> <p><b>और</b></p> <p>(iii) अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति;</p> <p><b>(ख) वांछनीय:</b></p> <p>(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठन में अधिकारियों के निजी कार्यालय के प्रबंधन में अनुभव;</p> <p>(ii) कार्यालय प्रक्रियाओं, फाइल रखने, रिकॉर्ड प्रबंधन और गोपनीय कागजात के रखरखाव का ज्ञान;</p> <p>(iii) अपॉइन्टमेन्ट का अनुसूचन और यात्रा अनुसूचन से परिचित होना;</p> <p>(iv) अच्छी पारस्परिक कौशल, आगंतुकों की आवश्यकत क्षमता;</p> <p>(v) कंप्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कुशलता;</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अहर्ताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लोखबद्ध किए जाए, "सक्षम प्राधिकारी" के</p>

						विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।  <b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, "सक्षम प्राधिकारी" के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर "सक्षम प्राधिकारी" की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के, समय-समय पर संशोधित, तारीख 21/12/2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39020/01/2016-स्था.(ख) के अनुसार में गैर-अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची में से जिन्होंने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के भर्ती के सभी चरणों को सीधी भर्ती द्वारा उत्तीर्ण कर लिया हो। <b>टिप्पणी:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या अर्ध सरकारी या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है, जो वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-5 (29200-92300 रु.) में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों या छह वर्ष की सेवा दे चुके हों और जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथाविहित अर्हताएं और अनुभव हों।	लागू नहीं होता।

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) विद्युत मंत्रालय में निदेशक - अध्यक्ष;</p> <p>(2) संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - सदस्य;</p> <p>(3) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय - सदस्य।</p> <p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित हैं:</p> <p>(1) संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो -अध्यक्ष;</p> <p>(2) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>(3) उप निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - सदस्य.</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. चालक।	1* (2024)  * कार्य भार के आधार	केंद्रीय सरकार में समूह 'ग' पदों के समतुल्य, अननुसचिवीय,	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-2 (19900—	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच।  (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए	<b>आवश्यक</b> (i) मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुमति रखता हो; <b>और</b> (ii) कम से कम तीन वर्ष तक मोटर कार

	पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अराजपत्रित।	63200रु।		<p>गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>चलाने का अनुभव; <b>और</b> (iii) 10+2 या सीनियर स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, "सक्षम प्राधिकारी" के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, "सक्षम प्राधिकारी" के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, ऐसे, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर "सक्षम प्राधिकारी" की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	------------------------------	-------------	----------	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी-</p> <p>(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-1 (18000-56900 रु) में नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा की हो और जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथाविहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।</p>

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(1) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - अध्यक्ष;</p> <p>(2) संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - सदस्य;</p> <p>(3) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय - सदस्य।</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित हैं: (1) संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - अध्यक्ष; (2) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय - सदस्य; (3) उप निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - सदस्य।	
---	--

[फा. सं. 13/05/2023—ईसी तारीख: 26/03/2025]

साकेत कुमार सिन्हा, अवर सचिव

**MINISTRY OF POWER**

New Delhi, the 26th March, 2025

**G.S.R. 36.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 read with clause (d) of sub-section (2) of section 56 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) and in supersession of Bureau of Energy Efficiency (Recruitment, Appointment and Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the posts of officers and other employees of the Bureau of Energy Efficiency, namely:—

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Bureau of Energy Efficiency (Recruitment, Appointment and Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, their classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule.

**4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** .— The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in Columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**5. Liability for service in any part of India.** All employees shall be liable to serve in any part of India carrying All India Service liability.

**6. Disqualification.**— No person,—

- who has entered into or contracted into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that, the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to be marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.



7. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Bureau, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Director (Technical).	10 (2025)*  *Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'A' posts in the Central Government,  Non-Ministerial and Non-Gazetted.	Pay level-13 (Rs.123100-215900) in pay matrix.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By Promotion failing which by deputation including short-term contract.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Officers of the Bureau of Energy Efficiency in the Grade of Joint Director (Technical) with five years service in pay level-12 (Rs. 78800 – 209200) of pay matrix rendered after appointment thereto on a regular service in the grade and possessing a certificate as energy auditor based on the National Examination under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001)</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed</p>

		<p>probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation (including short-term contract)</b></p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organisations-</p> <p>(A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; <b>or</b></p> <p>(ii) with five years regular service in pay level-12 (Rs. 78800 – 209200) of pay matrix in the parent cadre or Department; <b>or</b></p> <p>(iii) with ten years regular service in pay level-11 (Rs. 67700 – 208700) of pay matrix in the parent cadre or Department;</p> <p><b>and</b></p> <p>(B) having the following educational qualification:-</p> <p>(i) Master degree in Physics or Chemistry or Economics or Mathematics from a recognised University; <b>or</b></p> <p>(ii) Bachelor degree in Engineering from a recognised University;</p> <p><b>and</b></p> <p>(iii) possessing Certificate as energy auditor based on the National Examination under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);</p> <p><b>and</b></p> <p>(C) having ten years of post qualification experience in dealing with the energy efficiency matters in industry, transport or building.</p> <p><b>Desirable:</b> (i) Master degree in Engineering or Business Management/ Administration or Energy Studies or Industrial or System Management from a recognised University;</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, officers appointed on deputation shall not be eligible for</p>
--	--	---

			<p>consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or Departments of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>The Departmental Selection Committee (for considering promotion or appointment) consisting of:</p> <p>(1) Additional Secretary, Ministry of Power -Chairperson;  (2) Deputy Director General, Bureau of Energy Efficiency -Member;  (3) Joint Secretary or equivalent level Officer, Ministry of Power – Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Joint Director (Technical).	11 (2025)*  *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' posts in the Central Government, Non-Ministerial, Non-Gazetted.	Pay level-12 (Rs.78800-209200) in pay matrix.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By Promotion failing which by deputation including short-term contract.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Officers of the Bureau of Energy Efficiency in the Grade of Deputy Director (Technical) with five years' service in pay level-11 (Rs. 67700 – 208700) of pay matrix rendered after appointment thereto on a regular service in the grade and possessing a certificate as energy auditor based on the National Examination under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001)</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher</p>

		<p>grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation (including short-term contract):</b></p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognized Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organizations-</p> <p>(A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; <b>or</b></p> <p>(ii) with five years regular service in pay level-11 (Rs. 67700 – 208700) of pay matrix in the parent cadre or Department;</p> <p><b>and</b></p> <p>(B) having the following essential educational qualification:-</p> <p>(i) Master degree in Physics or Chemistry or Economics or Mathematics from a recognised University; <b>or</b></p> <p>(ii) Bachelor degree in Engineering from a recognised University;</p> <p><b>and</b></p> <p>(iii) possessing Certificate as energy auditor based on the National Examination under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);</p> <p><b>and</b></p> <p>(C) having ten years of post qualification experience in dealing with the energy efficiency matters in industry, transport or building.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, officers appointed on deputation shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or Departments of the Central Government shall not exceed four years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--

(12)	(13)
The Departmental Selection Committee (for considering promotion/ appointment) consisting of –  (1) Additional Secretary, Ministry of Power –Chairperson; (2) Deputy Director General, Bureau of Energy Efficiency –Member; (3) Joint Secretary or equivalent level Officer in Ministry of Power –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Deputy Director (Technical).	11 (2025)*  *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' posts in the Central Government, Non-Ministerial, Non-Gazetted.	Pay level-11 (Rs.67700 – 208700) of pay matrix.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Officers of the Bureau of Energy Efficiency in the Grade of Assistant Director (Technical) with five years service in pay level-10 (Rs. 56100-177500) of pay matrix rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing a certificate as energy manager or energy auditor based on the National Examination under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001)</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organisations-</p> <p>(A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; <b>or</b></p> <p>(ii) with five years regular service in pay level-10 (Rs. 56100-177500) of pay matrix in the parent cadre or department;</p> <p><b>and</b></p> <p>(B) having the following essential educational qualification:-</p>

			<p>(i) Masters degree in Physics or Chemistry or Economics or Mathematics from a recognised University; <b>or</b></p> <p>(ii) Bachelor degree in Engineering from a recognised University;</p> <p><b>and</b></p> <p>(iii) possessing Certificate as energy manager or energy auditor based on the National Examination under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);</p> <p><b>and</b></p> <p>(C) having five years of post qualification experience in dealing with energy efficiency matters in industry, transport or building.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, officers on deputation shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or Departments of the Central Government shall not exceed four years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--	---

(12)	(13)
<p>The Departmental Selection Committee (for considering promotion or appointment) consisting of:</p> <p>Departmental Selection Committee consisting of:-</p> <p>(1) Joint Secretary or equivalent level Officer, Ministry of Power - Chairperson;</p> <p>(2) Director in Bureau of Energy Efficiency -Member.</p> <p>(3) Secretary, Bureau of Energy Efficiency -Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Assistant Director (Technical).	20 (2025)*  *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' posts in the Central Government, Non-Ministerial, Non-Gazetted.	Pay level- 10 (Rs.56100-177500) in pay matrix.	Not applicable.	Up to Thirty-five years.  (Relaxable for Government servants including Departmental candidates up to five years in accordance with the	<p><b>Essential:</b></p> <p>(A) (i) Master degree in Physics or Chemistry or Economics or Mathematics from a recognised University; <b>or</b></p> <p>(ii) Bachelor degree in Engineering from a recognised University;</p>

					instructions/orders issued by the Central Government).	<p><b>Note 1:</b> The qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Central Government for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two year.	<p>By Direct Recruitment based on valid GATE Score in the order of merit wherever applicable. The Bureau of Energy Efficiency shall fix the cut-off GATE score for ranking for different disciplines/streams. The Departmental selection committee shall recommend the candidates, on the basis of GATE Score for finalising the selection of the shortlisted candidates.</p> <p><b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Union territories or semi Government or recognised research institutions or universities or public sector undertakings or autonomous or statutory organizations holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications and experience as prescribed for direct recruits under Column 7.</p>	Not applicable.

(12)	(13)
<p>Departmental Selection Committee (for considering selection) consisting of:-</p> <p>(1) Joint Secretary or equivalent level Officer, Ministry of Power - Chairperson;</p> <p>(2) Director in Bureau of Energy Efficiency - Member;</p> <p>(3) Secretary, Bureau of Energy Efficiency - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	
(1) Director in Ministry of Power - Chairperson;	
(2) Joint Director, Bureau of Energy Efficiency -Member;	
(3) Under Secretary, Ministry of Power -Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Joint Director (Non-Technical).	01 (2025)* *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' posts in the Central Government, Ministerial, Non-Gazetted.	Pay level-12 (Rs.78800-209200) in pay matrix.	Not applicable.	Not Applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Composite method: By deputation including short-term contract/ promotion.	<p><b>Deputation (including short-term contract):</b></p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organizations-</p> <p><b>(a)</b> (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; <b>or</b> (ii) with five years regular service in pay level-11 (Rs. 67700 – 208700) of pay matrix in the parent cadre or Department; <b>and</b></p> <p><b>(b)</b> having the following essential educational qualification:-</p> <p>(i) Bachelors degree from a recognised university; <b>or</b> (ii) Master of Business Administration (with specialisation in Finance/ Human Resources) from a recognised University/Institution;</p> <p><b>and</b></p> <p><b>(c)</b> having ten years of post qualification experience in handling establishment or administration or Accounts or Vigilance related issues.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental Deputy Director (Non-Technical) in pay level-11 (Rs. 67700 – 208700) of pay matrix with five years of regular service in the grade and having successfully completed Cash and Accounts Training, training in administrative vigilance and other establishment matters shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, officers appointed on deputation shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 3:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this</p>



			<p>appointment in the same or other organisations or Departments of the Central Government shall not exceed four years.</p> <p><b>Note 4:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--	---

(12)	(13)
<p>The Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of :—</p> <p>(1) Additional Secretary, Ministry of Power -Chairperson;</p> <p>(2) Deputy Director General, Bureau of Energy Efficiency - Member;</p> <p>(3) Joint Secretary or equivalent level Officer, Ministry of Power , Ministry of Power-Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Deputy Director (Non-Technical).	01 (2025)* *Subject to variation dependent on workload .	Equivalent to Group 'A' posts in the Central Government, Ministerial, Non-Gazetted.	Pay level-11 (Rs.67700 – 208700) in pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	<p>Composite method:</p> <p>By deputation including short-term contract/ promotion.</p>	<p><b>Deputation (including short-term contract):</b></p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organisations-</p> <p><b>(a)</b> (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; <b>or</b></p> <p>(ii) with five years regular service in pay level-10 (Rs.56100-177500) of pay matrix in the parent cadre or Department;</p> <p><b>and</b></p> <p><b>(b)</b> having the following essential educational qualification:-</p> <p>(i) Bachelors degree from a recognised university; <b>or</b></p> <p>(ii) Master of Business Administration (with specialisation in Finance / Human Resources) from a recognised University/Institution;</p> <p><b>and</b></p> <p><b>(c)</b> having five years of post qualification experience in handling establishment or administration or Accounts or Vigilance related issues.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental Assistant Director (Finance) and Assistant Director (Human Resources) in pay level-10 (Rs.56100-177500) of pay matrix with five years' of regular service in the grade and having successfully completed Cash and Accounts Training, training in administrative vigilance and other establishment matters shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, officers appointed on deputation shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>

			<p><b>Note 3:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or Departments of the Central Government shall not exceed four years.</p> <p><b>Note 4:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--	---

(12)	(13)
<p>The Departmental Selection Committee (for considering promotion or appointment) consisting of:</p> <p>(1) Joint Secretary or equivalent level Officer, Ministry of Power - Chairperson;  (2) Director in Ministry of Power -Member;  (3) Secretary, Bureau of Energy Efficiency -Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Assistant Director (Finance).	01 (2025)*  *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' posts in the Central Government Ministerial, Non- Gazetted.	Pay level- 10 (Rs.56100- 177500) in pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years for promotees.	<p>Composite method:</p> <p>By deputation including short- term contract/ promotion</p>	<p><b>Deputation (including short-term contract):</b></p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organisations-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; <b>or</b>  (ii) with four years regular service in pay level-8 (Rs.47600-151100) of pay matrix in the parent cadre or Department;  <b>or</b>  (iii) with five years' regular service in pay level-7 (Rs.44900-142400) of pay matrix in the parent cadre or Department;  <b>and</b>  (b) having the following educational qualification and experience:-  (i) Bachelors degree from a recognised university; <b>or</b>  (ii) Master of Business Administration (with specialisation in Finance) from a recognised University/Institution.  <b>and</b>  (c) Possessing minimum three years experience in handling finance, accounts and budget related works.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental Finance and Accounts Officer in pay level-7 (Rs.44900-142400) of pay matrix with five years of regular service in the grade and having successfully completed Cash and Accounts Training shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p>

			<p><b>Note 2:</b> The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, officers appointed on deputation shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 3:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years.</p> <p><b>Note 4:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--	---

(12)	(13)
<p>The Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of:</p> <p>(1) Joint Secretary or equivalent level Officer, Ministry of Power - Chairperson;  (2) Director in Ministry of Power -Member;  (3) Secretary, Bureau of Energy Efficiency -Member.</p> <p>The Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(1) Secretary, Bureau of Energy Efficiency -Chairperson;  (2) Joint Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency -Member;  (3) Under Secretary, Ministry of Power - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Assistant Director (Human Resources).	01 (2025)* *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' posts in the Central Government Ministerial, Non-Gazetted.	Pay level-10 (Rs.56100-177500) in pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Officers of the Bureau of Energy Efficiency in the Grade of Administrative Officer with five years service in pay level-7 (Rs.44900-142400) of pay matrix rendered after appointment thereto on a regular basis and having successfully completed training in administrative vigilance and other establishment matters.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

			<p><b>Deputation (including short-term contract):</b></p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organisations-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; <b>or</b>  (ii) with four years regular service in pay level-8 (Rs.47600-151100) of pay matrix in the parent cadre or Department;  <b>or</b>  (iii) with five years regular service in pay level-7 (Rs.44900-142400) of pay matrix in the parent cadre or Department;  <b>and</b>  (b) having the following educational qualification and experience:-  (i) Bachelors degree from a recognised university; <b>or</b>  (ii) Master of Business Administration (with specialisation in Human Resources) from a recognised University/Institution;  <b>and</b>  (c) Possessing minimum three years experience in handling general administration and establishment related works.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, officers appointed on deputation shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--	--

(12)	(13)
<p>The Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of:</p> <p>(1) Joint Secretary or equivalent level Officer, Ministry of Power - Chairperson;  (2) Director in Ministry of Power -Member;  (3) Secretary, Bureau of Energy Efficiency -Member.</p> <p>The Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(1) Secretary, Bureau of Energy Efficiency -Chairperson;  (2) Joint Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency -Member;  (3) Under Secretary, Ministry of Power - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Administrative Officer.	2 (2025)* *Subject to variation dependent on	Equivalent to Group 'B' posts in the Central Government	Pay level-7 (Rs.44900 – 142400) in pay matrix.	Not applicable.	Up to thirty years.  (Relaxable for Government servants including departmental	<b>Essential:</b> (i) Bachelors degree from a recognised university; <b>or</b> (ii) Master of Business Administration (with

	workload.	Ministerial, Non- Gazetted.			candidates up to five years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government).	specialisation in Human Resource) from a recognised University/ Institution.  <b>Desirable:</b> One year experience in handling establishment or administration or Vigilance related issues in the Central or State/UT Government or PSUs, Universities or Statutory or Autonomous Bodies or recognised Research Institutes etc. <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the “Competent Authority” for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. <b>Note 2:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the “Competent Authority” for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the “Competent Authority” is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
--	-----------	-----------------------------------	--	--	---	---

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	<p>By Direct Recruitment in accordance with the DoP&amp;T OM No. 39020/01/2016-Estt. (B) dated 21/12/2020, as amended from time to time, from the list of non-recommended candidates, who have cleared all the stages of recruitment, of Combined Graduate level Examinations conducted by Staff Selection Commission.</p> <p>For this purpose, non-recommended candidates, who have cleared all the stages of recruitment, shall be called in the ratio of 1:3 (three times of the vacancies), and after verification of credentials regarding age, educational qualification, claim for reservation and character and antecedents verification report, the shortlisted candidates shall be offered appointment in the order of merit declared by the Staff Selection Commission.</p> <p><b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or</p>	Not applicable.

		more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Union territories or semi Government or recognised research institutions or universities or public sector undertakings or autonomous or statutory organizations holding analogous posts or with five years' service in pay level-6 (Rs.35400 – 112400) in pay matrix on regular basis and possessing the qualifications and experience as prescribed for direct recruits under Column 7.	
--	--	--	--

(12)	(13)
<p>The Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of:</p> <p>(1) Director in Ministry of Power - Chairperson;</p> <p>(2) Secretary, Bureau of Energy Efficiency - Member;</p> <p>(3) Joint Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency -Member.</p> <p>The Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(1) Joint Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency -Chairperson;</p> <p>(2) Under Secretary, Ministry of Power - Member;</p> <p>(3) Deputy Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Finance and Accounts Officer.	01 (2025)* *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' posts in the Central Government, Ministerial, Non-Gazetted.	Pay level-7 (Rs.44900 – 142400) in pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short term contract.	<p><b>Promotion:</b> Officers of the Bureau of Energy Efficiency in the Grade of Accountant with five years service in pay level-6 (Rs. 35400-112400) of pay matrix rendered after appointment thereto on a regular basis and having successfully completed Cash and Accounts training conducted by Institute of Secretariat Training and Management.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation (including short-term contract):</b></p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organizations-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; <b>or</b></p> <p>(ii) with five years regular service in pay level-6 (Rs.35400 – 112400) of pay matrix in the parent cadre or Department; <b>and</b></p> <p>(b) having the following educational qualification and experience:-</p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Bachelor degree in Commerce from a recognised university; <b>and</b></p> <p>(ii) possessing two years experience in cash and accounts or budget work in Central Government or State Governments or Union territories or</p>

			<p>Universities or recognised research institute or public Sector Undertakings or statutory or autonomous organisation.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>(i) Master of Business Administration (with specialisation in Finance) from a recognised University/ Institution;</p> <p>(ii) Knowledge of Central Government accounting procedure such as procedural details for budget, drawing and disbursement, receipts and payment, statutory recoveries, funds, their accounting and financial control, preparation and finalization of annual accounts; and</p> <p>(iii) having sound knowledge of commercial accounts.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--	---

(12)	(13)
<p>The Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of:</p> <p>(1) Director in Ministry of Power - Chairperson;</p> <p>(2) Secretary, Bureau of Energy Efficiency - Member;</p> <p>(3) Joint Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency -Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Accountant.	03 (2025)*  *(Subject to variation dependent on workload).	Equivalent to Group 'B' posts in the Central Government, Ministerial, Non-gazetted.	Pay level- 6 (Rs.35400-112400) in pay matrix.	Not applicable.	Up to thirty years.  (Relaxable for Government servants including departmental candidates up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Bachelor degree in Commerce from a recognised university;</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>(i) Master of Business Administration (with specialisation in Finance) from a recognised University/ Institution.</p> <p>(ii) possessing two years experience in cash and accounts or budget work in offices specified in rule 2(iii).</p> <p>(iii) Must have knowledge of Central Government accounting procedure such as procedural details for budget, drawing and disbursement, receipts and payment, statutory recoveries, funds, their accounting and financial control, preparation and finalization of annual accounts; and</p>

						<p>(iv) having sound knowledge of commercial accounts.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the “Competent Authority” for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the “Competent Authority” for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the “Competent Authority” is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two Years.	<p>By Direct Recruitment in accordance with the DoP&amp;T OM No. 39020/01/2016-Estt. (B) dated 21/12/2020, as amended from time to time, from the list of non-recommended candidates, who have cleared all the stages of recruitment, of Combined Graduate level Examinations conducted by Staff Selection Commission.</p> <p>For this purpose, non-recommended candidates, who have cleared all the stages of recruitment, shall be called in the ratio of 1:3 (three times of the vacancies), and verification of credentials regarding age, educational qualification, claim for reservation and character and antecedents verification report, the shortlisted candidates shall be offered appointment in the order of merit declared by the Staff Selection Commission.</p> <p><b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Union territories or semi Government or recognised research institutions or universities or public sector undertakings or autonomous or statutory organizations holding analogous posts or with five years’ service in pay level-6 (Rs.35400 – 112400) on regular basis and possessing the qualifications and experience as prescribed for direct recruits under Column 7.</p>	Not applicable.

(12)	(13)
<p>The Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of:</p> <p>(1) Director in Ministry of Power (2) Secretary, Bureau of Energy Efficiency (3) Under Secretary, Ministry of Power</p> <p style="text-align: right;">- Chairperson; - Member; - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>



The Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:	
(1) Joint Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency	-Chairperson;
(2) Under Secretary, Ministry of Power	— Member;
(3) Deputy Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency	— Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. Deputy Director (Media).	1* (2025)  *Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'A' posts in the Central Government, Non-Ministerial, Non- Gazetted.	Pay level- 11 (Rs. 67700- 208700) in pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By Deputation including short term contract.	<p><b>Deputation (including short- term contract):</b> Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organisations-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre; <b>or</b> (ii) having five years regular service in the pay level-10 (Rs.56100 - 177500) of pay matrix on regular basis in the parent cadre; <b>or</b> (iii) having six years regular service in the pay level- 9 (Rs.53100 - 167800) of pay matrix on regular basis in the parent cadre;</p> <p><b>and</b> (b) having Degree or Post Graduate Diploma in Mass Communication or equivalent; <b>and</b> (c) Five years of experience in handling Public Relations or Media in a reputed organisation.</p> <p><b>Note 1:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or Departments of the Central Government shall not exceed four years.</p> <p><b>Note 2.-</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(12)	(13)
The Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of:	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
(1) Joint Secretary or equivalent level Officer, Ministry of Power	
(2) Secretary, Bureau of Energy Efficiency	
(3) Director, Press Information Bureau	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. Assistant Director (Media).	1* (2025)  *Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'A' posts in the Central Government, Non- Ministerial, Non-Gazetted.	Pay level- 10 (Rs.56100 - 177500) in pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By Deputation including short term contract.	<p><b>Deputation (including Short- term contract)</b></p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organisations-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre; <b>or</b>  (ii) having two years regular service in the pay level- 9 (Rs.53100 - 167800) of pay matrix on regular basis in the parent cadre; <b>or</b>  (iii) having three years regular service in the pay level- 8 (Rs. 47600 – 151100) of pay matrix on regular basis in the parent cadre;</p> <p><b>and</b>  (b) having Degree or Post Graduate Diploma in Mass Communication or equivalent;  <b>and</b>  (c) Five years of experience in handling Public Relations or Media in a reputed organisation.</p> <p><b>Note 1:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or Departments of the Central Government shall not exceed four years.</p> <p><b>Note 2.-</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(12)	(13)
<p>The Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of:</p> <p>(1) Joint Secretary or equivalent level Officer, Ministry of Power - Chairperson;  (2) Secretary, Bureau of Energy Efficiency –Member;  (3) Director, Press Information Bureau –Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. Senior Private Secretary.	01 (2025)* *(Subject to variation dependent on workload).	Equivalent to Group 'B' posts in the Central Government, Ministerial, Non-Gazetted.	<p>Pay level – 8 (Rs. 47600 – 151100) and upgraded to</p> <p>Pay level – 9 (Rs. 53100 – 167800) in pay matrix after four years of regular service.</p>	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.	<p><b>Promotion:</b> Officials of the Bureau of Energy Efficiency in the Grade of Private Secretary with two years service in pay level-7 (Rs. 44900-142400) of pay matrix rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

			<p><b>Deputation (including short-term contract):</b></p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organisations-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; <b>or</b>  (ii) with two years regular service in pay level-7 (Rs. 44900-142400) of pay matrix in the parent cadre or Department;</p> <p><b>and</b>  (b) having the following essential educational qualification and experience:-</p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Bachelor degree from a recognised university; <b>and</b>  (ii) possessing experience as under:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. having speed in shorthand of 80 words per minute in English or Hindi;</li> <li>2. having speed in typewriting of 40 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi;</li> <li>3. Experience in managing the personal office of officers;</li> <li>4. Knowledge of office procedures, file keeping, record management and maintaining confidential papers;</li> <li>5. Scheduling of appointments and familiarity with travel scheduling;</li> <li>6. Good interpersonal skills, ability in attending the visitors;</li> </ol> <p><b>Note 1:</b> The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	--	---

(12)	(13)
<p>The Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of:</p> <p>(1) Director in Ministry of Power - Chairperson;  (2) Secretary, Bureau of Energy Efficiency -Member;  (3) Under Secretary, Ministry of Power - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. Private Secretary.	1* (2025)  *Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'B' posts in the Central Government, Ministerial, Non-Gazetted.	Pay level - 7. (Rs.44900 – 142400) in pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation	<b>Promotion:</b> Officials of the Bureau of Energy Efficiency in the Grade of Stenographer with five years service in pay level-6 (Rs. 35400-112400) of pay matrix rendered after appointment thereto on a regular basis.

		including short term contract .	<p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation (including short-term contract):</b></p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organisations-</p> <p><b>(a)</b> (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; <b>or</b></p> <p>(ii) with five years regular service in pay level-6 (Rs. 35400-112400) of pay matrix in the parent cadre or Department;</p> <p><b>and</b></p> <p>(b) having the following educational qualification and experience:-</p> <p>(i) Bachelor degree from a recognised university; <b>and</b></p> <p>(ii) possessing experience as under:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. having speed in shorthand of 80 words per minute in English or Hindi;</li> <li>2. having speed in typewriting of 40 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi;</li> <li>3. Experience in managing the personal office of officers;</li> <li>4. Knowledge of office procedures, file keeping, record management and maintaining confidential papers;</li> <li>5. Scheduling of appointments and familiarity with travel scheduling;</li> <li>6. Good interpersonal skills, ability in attending the visitors;</li> </ol> <p><b>Note 1:</b> The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or Departments of the Central Government shall not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	--	---------------------------------	--

(12)	(13)
<p>The Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of:</p> <p>(1) Director in Ministry of Power - Chairperson;</p> <p>(2) Secretary, Bureau of Energy Efficiency - Member;</p> <p>(3) Under Secretary, Ministry of Power - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. Stenographer.	08 (2025)* *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' posts in the Central Government Ministerial, Non-gazetted.	Pay level 6 (Rs. 35400-112400/) in pay matrix.	Not applicable.	Up to thirty years.  (Relaxable for Government servants including departmental candidates up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	<p><b>(A) Essential:</b></p> <p>(i) Bachelor degree from a recognised university; <b>and</b></p> <p>(ii) having speed in shorthand of 80 words per minute in English or Hindi; <b>and</b></p> <p>(iii) having speed in typewriting of 40 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi;</p> <p><b>(B) Desirable:</b></p> <p>(i) possessing experience in managing the personal office of officers in Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised research institute or public Sector Undertakings or statutory or autonomous organization;</p> <p>(ii) Knowledge of office procedures, file keeping, record management and maintaining confidential papers;</p> <p>(iii) Scheduling of appointments and familiarity with travel scheduling;</p> <p>(iv) Good interpersonal skills, ability in attending the visitors;</p> <p>(v) should be proficient in Computer and Microsoft office;</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the "Competent Authority" for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the "Competent Authority" for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the "Competent Authority" is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	By Direct Recruitment in accordance with the DoP&T OM No. 39020/01/2016-Estt. (B) dated 21/12/2020, as amended from time to time, from the list of non-recommended candidates, who have cleared all the stages of recruitment, of Combined Stenographer Grade C and D Examination conducted by Staff Selection Commission.	Not applicable.
		<b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or	

		State Government or Union territories or semi Government or recognised research institutions or universities or public sector undertakings or autonomous or statutory organizations holding analogous posts or with six years' service in pay level-5 (Rs.29200 – 92300) in pay matrix on regular basis and possessing the qualifications and experience as prescribed for direct recruits under Column 7.	
--	--	--	--

(12)	(13)
<p>The Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of:</p> <p>(1) Director in Ministry of Power - Chairperson;</p> <p>(2) Joint Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency - Member;</p> <p>(3) Under Secretary, Ministry of Power - Member.</p> <p>The Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(1) Joint Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency -Chairperson;</p> <p>(2) Under Secretary, Ministry of Power - Member;</p> <p>(3) Deputy Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency - Member.</p>	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. Driver.	1* (2024)  *Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'C' posts in the Central Government, Non-ministerial, Non-gazetted.	Pay level-2 (Rs.19900 – 63200) in pay matrix.	Not applicable.	Between 18 to 25 years.  (Relaxable for Government servants including departmental candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) possessing a valid driving license for motor cars; and</p> <p>(ii) experience of driving a motor car for at least three years; and</p> <p>(iii) should have passed 10+2 or Senior School Examination.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the “Competent Authority” for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the “Competent Authority” for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the “Competent Authority” is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	By deputation (including short term contract) failing which by Direct Recruitment.	<p>Deputation (including short term contract):</p> <p>Officials of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organisations-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with three years service in pay level-1 (Rs. 18000-</p>



		56900) of pay matrix on regular basis and possessing the qualifications and experience as prescribed for direct recruits under Column 7.
--	--	--

(12)	(13)
<p>The Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of:</p> <p>(1) Secretary, Bureau of Energy Efficiency -Chairperson;  (2) Joint Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency -Member;  (3) Under Secretary, Ministry of Power - Member.</p> <p>The Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(1) Joint Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency -Chairperson;  (2) Under Secretary, Ministry of Power - Member;  (3) Deputy Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

[F. No. 13/05/2023 —EC Dated: the 26<sup>th</sup> March 2025]

SAKET KUMAR SINHA, Under Secy.